Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to make law for mandatory 3-5 years cooling period for bureaucrats / judges / senior official of Government of India before joining a political party.

श्री सय्यद ईमत्याज जलील (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, मुंबई पुलिस की कारकर्दगी करने की प्रशंसा पूरी दुनिया में की जाती थी । आज भी मुंबई पुलिस के अंदर बहुत अच्छी और क्लीन इमेज के टोटली नॉन करप्ट ऑफिसर्स पहले भी काम कर चुके हैं और आज भी काम कर रहे हैं । लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उससे मुबई पुलिस ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र पुलिस का मोरेल डाउन है । वहां देखिए कैसे-कैसे गम्भीर आरोप लगाए जा रहे हैं । आज हकीकत यह है कि मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारियों को राजनीतिक दलों के अंदर बांट दिया गया है । सोशल मीडिया पर मैसेजेस आ रहे हैं कि यह ऑफिसर शिवसेना के करीब का है, यह ऑफिसर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है और यह ऑफिसर राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए काम करता है । मैं समझता हूं कि यह पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत गलत बात है ।

सभापति महोदय, इस पूरे मुद्दे के अंदर देखा जाए कि आखिर क्या मामला है? कुछ लोग कहते हैं कि आईपीएल बैटिंग से जुड़ा हुआ मामला है, कोई कहता है कि यह मामला पुलिस और अण्डरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है । मुकेश अंबानी साहब का इसके अंदर क्या मामला है?

माननीय सभापति : आप अपनी डिमांड रखिए ।

श्री सय्यद ईमत्याज जलील : महोदय, दूसरी बात यह है कि कुछ दिन पहले तक यहां पर हमारे ही एक आदिवासी सांसद मोहनभाई देलकर साहब बैठते थे, उनकी इंक्वायरी कौन करेगा?

अब इस पर भी राजनीति चल रही है ।

सभापति महोदय, मैं आपके जरिए यह मांग करता हूं, चाहे वह पुलिस कमिश्नर, डीजी, माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेज या कोई बड़े स्तर के ऑफिसर हों, वे रिटायरमेंट के बाद फौरन राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं । वे लोक सभा या राज्य सभा के अंदर आकर बैठ जाते हैं, इनका एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए । इस तरह की एक कानून बनाने की जरूरत है । कम से कम तीन साल या पांच साल की कूलिंग पीरियड होने के बाद ही उनको किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करने की इजाजत हो ।